

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, तिन्दवारी-बाँदा

दिनांक : 18.05.2026

पत्रांक : 220

/आंकिक/गौ आश्रय/ई-टेन्डरिंग/2026-27

ई-निविदा सूचना

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बाँदा के पत्र सं० 203 दिनांक 24.04.2026 के क्रम में ई-टेण्डर के माध्यम से दर अनुबन्ध कर भूसे के साथ साइलेज क्य किये जाने हेतु विकास खण्ड स्तरीय गठित कमेटी के माध्यम से टेण्डर आमंत्रित किए जाते हैं।

उपरोक्त के कम में विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में संचालित समस्त स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंशों के भरण-पोषण हेतु गेहूँ का भूसा, साइलेज एवं पशु आहार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु क्रय/आपूर्ति के लिए निम्नांकित विवरण के अनुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट ई-टेन्डरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> से दिनांक 20.05.2026 के अपरान्ह 01.00 बजे से डाउनलोड की जा सकती है तथा ऑनलाइन निविदा दिनांक 16.06.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक अपलोड की जा सकेगी। निविदादाता को अपना समस्त अर्ह प्रमाण-पत्र यथा हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जी०एस०टी० पंजीकरण की स्कैन कॉपी, निविदा के साथ ई-टेन्डरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर नियम व शर्तों के अधीन ही अपलोड करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्र दिनांक 16.06.2026 को कार्यालय में विकास खण्ड स्तरीय समिति के समक्ष 10.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर सम्बन्धित ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। ई-निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 16.06.2026 को अपरान्ह 01.00 बजे से समिति के समक्ष खोली जायेगी। टेण्डर का फार्म शुल्क अर्नेस्ट मनी व धरोहर धनराशि के अतिरिक्त सभी कर सहित खण्ड विकास अधिकारी तिन्दवारी के पा में एफ०डी०आर० के रूप में स्कैन कर ई-टेण्डर में अभिलेखों के साथ अपलोड करते हुए मूल प्रति टेक्निकल बिड के साथ देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त ई-निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। समिति द्वारा स्वीकृति टेण्डर का कार्यादेश जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन उपरान्त ही जारी किया जायेगा।

| क्र०सं० | आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नाम | अर्नेस्ट मनी (ई०एम०डी०) | निविदा प्रपत्र का मूल्य (नॉन रिफण्डेबल) (समस्त करों सहित) |
|---------|---|-------------------------|---|
| 1 | भूसा आवश्यकतानुसार लगभग 41076 कु० (मात्रा घट बढ़ सकती है) | 753745/- | 25000.00+4500.00 |
| 2 | साइलेज आवश्यकतानुसार लगभग 61614 (मात्रा घट बढ़ सकती है) | | (समस्त करों सहित) |

Digitally signed by
RAMESH KUMAR
Date: 19-05-2026
10:51:08

खण्ड विकास अधिकारी
तिन्दवारी-बाँदा

पत्रांक :

/दिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय बाँदा।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय बाँदा।
3. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बाँदा।
4. पशु चिकित्साधिकारी तिन्दवारी।
5. सहायक विकास अधिकारी (प०)/कृषि।
6. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक जागरण/अमर उजाला को कम से कम साइज में प्रकाशनार्थ।

खण्ड विकास अधिकारी
तिन्दवारी-बाँदा

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, तिन्दवारी... जनपद बौदा हेतु स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशोंकी उदरपूर्ति हेतु गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार के क्रय हेतु निविदा की शर्त/सूचना

1. उक्त निविदा 31 मार्च, 2027 तक मान्य होगी या सहाम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त अगला टेण्डर स्वीकृत होने तक मान्य होगी।
2. निविदा पत्र के साथ गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार के लिये रु० 753745=∞ (रु० मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में एफ०डी०आर० खण्ड विकास अधिकारी तिन्दवारी... के पक्ष में सलंग्न किया जाना अनिवार्य है। चेक/नगद धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी। बिना अर्नेस्ट मनी के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार खराब पाये जाने पर बीजक का भुगतान नहीं होगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदादाता का जी०एस०टी० पंजीकरण, पैन नं० होना अनिवार्य है, जिसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति सलंग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदादाता को विगत 03 वर्षों (2022-23, 2023-24 व 2024-25 अर्थात कर निर्धारण वर्ष (Assesment Year) 2023-24, 2024-25 व 2025-26 का आयकर विवरण सलंग्न करना होगा।
6. निविदा की दरें एफ०ओ०आर (गोदाम के अन्दर) की होनी चाहिए।
7. निविदादाता को निविदा के साथ 01 किग्रा० गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार का नमूना उपलब्ध कराना होगा।
8. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के सनज्ञ विकास खण्ड स्तरीय क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी उत्तने सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
9. ई-टेण्डर खोलने के बाद दरों का निगोसियेशन किसी फर्म से नहीं किया जायेगा। आवश्यकता पडने पर केवल न्यूनतम दर वाली फर्म से जिला स्तरीय गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त निगोसियेशन किया जा सकता है।
10. क्रय समिति का यह अधिकार होगा कि आपूर्ति समय से अथवा मानकों के अनुस्तर न होने की दशा में जमा की गयी अरनेस्ट मनी जब्त कर ले तथा भविष्य के लिये फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायें।
11. जनपद स्तरीय क्रय समिति के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम दरों पर क्रय स्वीकार करें। दरों पर निर्णय लेते समय समिति पूर्व अनुभव, गुणवत्ता, अथवा स्थानीय बाजार भाव आदि को संज्ञान में ले सकती है।
12. निविदाओं के माध्यम से प्राप्त हुयी न्यूनतम दरों पर जनपद स्तरीय क्रय समिति /जिलाधिकारी महोदया बौदा के द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त न्यूनतम दरें स्वीकृत की जायेगी।
13. गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की आपूर्ति विकास खण्ड के अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों पर धर्मकाटों की तौल पर देना होगा।
14. उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 के अध्याय 09 के क्रमांक 9.14 में स्पष्ट उल्लिखित है कि सफल निविदादाता Value of Contract का 2 प्रतिशत जमानत धनराशि अनुबन्ध करते समय पृथक से एफ०डी०आर० बनवाकर खण्ड विकास अधिकारी तिन्दवारी...के पक्ष में बन्धक रखनी होगी एवं न्यूनतम स्वीकृत टेण्डरदाता द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध कराने में असफल रहने की दशा में आपूर्ति में अनिच्छुक मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही करते

अर्नेस्ट मनी राशि जब्तकर द्वितीय न्यूनतम दरदाता से न्यूनतम (L-1) दरों पर जनपद स्तरीय गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध हेतु विचार किया जा सकता है। जिन निविदादाता की दरें स्वीकार की जायेगी उन्हें भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद-57 के अन्तर्गत ₹0 100/- (रुपया एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा जिसका व्यय निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा। उत्तर प्रदेश शासन की निबन्धन विभाग की एम0ए0व्यू0 क्र0रां0-16 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित सफल ठेकेदार को धनराशि ₹. 50.00 का शपथ पत्र/बान्ड भरना होगा कि "मा0 उच्चतम न्यायालय में विचारणीय याचिका का निर्णय यदि राज्य सरकार के पक्ष में कर दिया जाता है तो नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जायेगा"।

15. निविदादाता के नाम कम से कम ₹0 3,00,000.00 (₹0 तीन लाख) मात्र का वैधियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत अथवा ₹0 6,00,000.00 (₹0 छ. लाख) की बैंक क्रेडिट लिमिट का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. निविदादाता को गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार का न्यूनतम 500 कुन्टल आपूर्ति का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. निविदादाता के स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म किसी राजकीय विभाग अथवा अन्य संस्था से काली सूची में नहीं डाली गयी है, जिन निविदादाताओं को उपरोक्त शर्त मान्य हो वही निविदादाता अर्नेस्ट मनी के साथ दरें प्रस्तुत करें, अन्यथा उसके अभाव में उनके द्वारा प्रस्तुत दरों पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित की गयी कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सशर्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
18. लॉडिंग-अनलोडिंग में जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी।
19. क्रय उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
20. सफल निविदादाता को उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल में वर्णित इंटिग्रिटी पैक्ट (Integrity Pact ref Para 18.9) को भी हस्ताक्षरित करना होगा।
21. तकनीकी निविदा में सभी प्रपत्र स्वहस्ताक्षरित कर अपलोड करने होंगे।
22. जनपद स्तरीय क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह विना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त कर दें।

क्रय आदेश/आपूर्ति/भुगतान

1. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त तत्काल आपूर्तिकर्ता को विकास खण्ड अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों पर क्रय आपूर्ति आदेश निर्गत करने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर आपूर्ति करनी होगी तथा आपातकालीन स्थिति में गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की आपूर्ति करनी होगी।
2. विकास खण्ड अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों के क्रय आपूर्ति आदेश/भुगतान ग्राम समिति में ग्राम प्रधान/सचिव, एन0जी0ओ0 के संचालको के द्वारा विधिवत परीक्षण करने के उपरान्त नियमानुसार अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल के खाते से नियमानुसार आयकर टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 कटौती करते हुये भुगतान किया जायेगा।
3. किसी भी क्रय आदेश की पार्ट आपूर्ति नहीं ली जायेगी।
4. जनपद स्तरीय क्रय समिति की संस्तुति के आधार पर एक से अधिक आपूर्ति कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एक ही दर स्वीकृत होती है तो क्रय की जाने वाली सामग्री को बराबर मात्रा में आवंटित कर दिया जायेगा एक के मना करने पर आदेश दूसरे आपूर्तिकर्ता को कर दिया जायेगा।
5. अपरिहार्य कारणों से गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की मात्रा घटाई-बढ़ाई जा सकती है, जिसका पूर्ण अधिकार विकास खण्ड स्तरीय क्रय समिति को होगा।

6. गेहूँ का भूसा/साइलेज आपूर्ति के स्थल विकास खण्ड के स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थल में करनी होगी। स्थल में परिवर्तन व स्थलों की संख्या को घटाया व बढ़ाया जा सकता है।
7. विकास खण्ड/तहसील स्तरों पर गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार के भण्डारण हेतु बैंक स्थापित करना होगा तथा गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की प्रचुर मात्रा उपलब्ध रहे जिससे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आपूर्ति करायी जा सके।

गुणवत्ता

1. गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की आपूर्ति प्राप्त करते समय पशु आश्रय स्थलों पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार का परीक्षण किया जायेगा और यदि परीक्षण के समय भूसा/साइलेज/पशु आहार अधोमानक प्रतीत हुआ तो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने खर्च पर वापस लेना होगा।
2. गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार में किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ धूल बाहरी तत्व बालू/मिट्टी, लोहे के टुकड़ें आदि नहीं होने चाहिए। गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार उच्च कोटि/प्रथम श्रेणी गुणवत्ता एवं सही पैकिंग का माल न होने पर अथवा आंशिक रूप से रिजेक्ट होने का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी/निर्देशक को सुरक्षित रहेगा। निर्धारित गुणवत्ता का माल ही आपूर्तिकर्ता को देना होगा।

अन्य शर्तें

1. यदि आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नियमानुसार विकास खण्ड/जनपद स्तरीय समिति के माध्यम से निपटारा किया जायेगा एवं उनके द्वारा लिया गया निर्णयदोनों पक्षों को मान्य होगा तथा किसी प्रकार के विधिक प्रकरण में न्याय क्षेत्र बाँदा होगा।
 2. उपरोक्त शर्तों में आपूर्तिकर्ता एवं क्रेता द्वारा उभय पक्षीय सहमति द्वारा आवश्यकतानुसार फेर बदल किया जा सकता है।
- उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य है तथा इन शर्तों को ध्यान में रखकर ही निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

निविदादाता का हस्ताक्षर.....
 नाम.....
 फर्म/कम्पनी की सील.....
 पूरा पता.....

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारीजनपद बाँदा।

ई-निविदा तकनीकी बिड

विकास खण्ड पर संचालित स्थाई/अस्थायी गो आश्रय स्थल पर संरक्षित गोवंशों की उदर पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि हेतु गेहूँ का भूसा/साइलेज के सम्बन्ध में प्रकाशित ई-निविदा सूचना संख्या.....दिनांकसम्बन्धी तकनीकी निविदा पत्र का विवरण:-

| | | |
|---|---|--|
| 1 | निविदादाता फर्म का नाम:- | |
| 2 | निविदादाता/फर्म का पता मोबाइल व ई-मेल नं | |
| 3 | जी0एस0टी0 सं0/तिथि वैधता दिनांक (प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें) | |
| 4 | आयकर स्थायी संख्या (पैन नं0) प्रमाण पत्र संलग्न करें। | |
| 5 | 03 वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 अर्थात कर निर्धारण वर्ष (Assesment Year)2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का आयकर विवरण (प्रमाण पत्र छायाप्रतिसंलग्न करें) | |
| 6 | धरोहर धनराशि (अर्नेस्टमनी) विवरण (डिमांड ड्रापट/बैंकर्स चेक/बैंक गारन्टी निर्धारित प्रारूप/एफ0डी0आर0 मूल रूप में संलग्न करें) | |
| 7 | निविदा प्रपत्र क्रय फीस का एफ0डी0आर0/ डिमांड ड्रापट/बैंकर्स चेक मूल रूपमें संलग्न करें) | |

घोषणा

मैंने/हमने क्रय प्रस्ताव प्रपत्र (निविदादाताओं के लिए आवश्यक निर्देश) के लिये निर्देश को भली भाँति पढ़/समझ लिया है तथा उनका अनुपालन करने हेतु बचनबद्ध हूँ/हैं। मैं विकास खण्ड..... में संचालित स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के संचालको द्वारा निर्धारित समय सीमा में आदेशित मात्रा की आपूर्ति करने में पूर्णतया समर्थ हूँ/हैं। कार्य निष्पादन में किसी प्रकार का विलम्ब या असफल होने पर मेरी/हमारी सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी। क्रय प्रस्ताव प्रपत्र में दी गयी सूचनायें मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। क्रय प्रस्ताव प्रपत्र में सम्बन्धित कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। क्रय प्रस्ताव जिला स्तरीय कमेटी के अनुमोदन उपरान्त मान्य होगा। क्रय प्रस्ताव की सभी शर्तें स्वीकार हैं। उपरोक्त के विपरित यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जाये। इसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान:.....

दिनांक :.....

निविदादाताअधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
प्रतिष्ठान की मुँहर